न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 253/2017(159/2015)

1. ईशा पुत्र हरजी
2. नेमा पुत्र हरजी
3. मोहन पुत्र हरजी
4. इन्द्रा पत्नी हरजी
5. पोकरा पुत्र सता
6. लखा पुत्र जामा
7. महेन्द्रा पुत्र भोजा

सभी जाति भील, निवासीगण कोनरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अपीलाण्ट्स..

ब ना म

1. चनणी पत्नी ठाकराराम
2. कुम्भा पुत्र भींया
3. वना पुत्र भींया

सभी जाति जाट, निवासीगण भादुओं का तलां
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर दिनांक 26 जून 2015 प्रकरण संख्या 314/2014 चनणी व अन्य बनाम ईशा इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री महेश मेहता अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3

नि र्ण य

दिनांक : 06 अगस्त 2024

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी चौहटन (कैम्प नेतराड) द्वारा प्रकरण संख्या 314/2014 चनणी व अन्य बनाम ईशा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 जून 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 ग्राम भादुओं का तला तहसील चौहटन स्थित आराजी खसरा संख्या 119/69 रकबा 88 बीघा 14 बिस्वा की पक्की नेखमबन्दी कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जून 2015 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना "न्यायालय आपके द्वार 2015 कोर्ट कैम्प, नेतराड" के दौरान पारित किया गया, किन्तु पत्रावली उक्त कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत अपीलाण्ट्स को कोई सूचना ही नहीं दी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के तहत कार्यवाही आरम्भ किये जाने के पूर्व पत्रवली पर अविवादित पैमाईश रिपोर्ट होना आवश्यक है मगर आलौच्य मामले में प्रार्थीगण–रेस्पो. द्वारा ऐसी कोई पैमाईश रिपोर्ट पेश ही नहीं की गयी, इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र चलने योग्य ही नहीं था। स्वयं रेस्पो. की ओर से अपीलाण्ट्स के खिलाफ एक राजस्व वाद सक्षम राजस्व न्यायालय में वादग्रस्त आराजी बाबत पेश किया हुआ है। जिससे जाहिर है कि आलौच्य भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य विवाद चल रहा है। वस्तुत दो गांवों की सीमाओं पर स्थित पक्षकारान की खातेदारी भूमि की सीमाओं बाबत विवाद है और ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलण्ट्स को सूचना के बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। वादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर चौहटन में पेश किया गया था, जिसकी कार्यवाही में अपील न्यायालय से दिनांक 29 जुलाई 2015 को प्रकरण रिमाण्ड होने पर विचारण न्यायालय में पेशी की जानकारी करने बाबत अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया, तब नकल आदि लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अन्दर मियाद पेश कर दी गयी। अतः अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर मेरिट पर स्वीकार की जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 26 जून 2015 के अनुसार अपीलाण्ट्स के सम्मन बाद तामील विचारण न्यायालय में प्राप्त हुए। अतः अपीलाण्ट्स का यह कथन सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जो मियाद बाधित होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 67 से 70, 72 व 73 अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु दिनांक 20 अक्तूबर 2014 को जारी नोटिस है जिन पर विचारण न्यायालय में उपस्थिति हेतु अंकित तारीख 19/11/14, 13/1/15, 9/3/15 व 8/4/15 को काट कर 8/5/15 अंकित की हुई है। इन नोटिस की पुश्त पर तामीलकुनिन्दा की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी 8/5/15 की आदेशिका अनुसार आगामी पेशी 26 जून 2015 निर्धारित की जाकर मिसल लोक अदालत बेच के समक्ष प्रस्तुत होने व तदनुसार सभी पक्षकार को सूचित करने बाबत लिखा गया है, किन्तु उक्त आदेशिका की पालना में कोई नोटिस जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है। जिससे अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स के इस कथन की पुष्टि होती है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं पर विश्वास करते हुए आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमाओं बाबत वस्तुस्थिति की कोई जानकारी अभिलेख पर नहीं ली गयी है।

इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित, विधिसम्मतः एवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाये जाने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना करते हुए मामले का न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर